

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/08/2023 को संपन्न 481वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023 को डॉ. बी.पी. मोन्हारे अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जखन्य, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कलविद्युत लिडी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स मिनाबल-1 सेप्टेक मशीन (सचिव/सदस्य, ग्राम पंचायत गदामली), ग्राम-मिनाबल, तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2509)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एमआईएन/ 432808/2023, दिनांक 09/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेल उल्थानन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मिनाबल, तहसील-मैरमगढ़, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ वासरा क्रमांक 36,

कुल क्षेत्रफल-14.236 हेक्टेयर में से 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन विभागत नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजया कुडियन, उप सरपंच उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - सेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गदामली का दिनांक 02/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. उत्खनन योजना - स्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर वस्तर कॉन्कर के ज्ञापन क्रमांक 1081/खनिज/उत्ख.पौ.अनु./सेत/2023-24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 25/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 228/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 228/कले./खनिज/2023 बीजापुर, दिनांक 18/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 145/कले./खनिज/रे.ख./2023 बीजापुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में "सेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कार्यालय वनमण्डलसचिवकारी, दलेवाड़ा में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य

से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घान-मिंगाचल 1.5 कि.मी., स्कूल गदामली 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल बीजापुर 20 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी दूर है। खदान के आउटस्ट्रीम में पुल 412 मीटर में स्थित है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 202 मीटर, न्यूनतम 190 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 354 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 85 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 30,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जलकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 01/04/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु सशक्ति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4	2%	0.08	Following activities at nearby Village- Mingachal	
			Plantation in Periphery of Muktidham & 5 years AMC	5.08
			Total	5.08

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम गदामली स्थित मुक्तिधाम के चारों ओर (नीम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 254 नग पीछों के लिए राशि 29,304 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 59,300 रुपये, खाद के लिए राशि 1,920 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,72,524 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,38,320 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गदामली के सहमति उपरांत मुक्तिधाम मध्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 411, रकबा 0.385 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट पर (नीम, आम, पीपल, कदंब, जामुन, बरगद, अमलताश, करंज, आंवला, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 177 नग पीछों के लिए राशि 23,452 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 53,100 रुपये, खाद के लिए राशि 1,320 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,49,872 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 2,94,072 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नदी तट पर स्थानीय प्रजाति (जैसे जामुन, करंज, अर्जुन एवं आम) के कम से कम 300 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान किन्हाकिता/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. आवंटित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से दूरी का उत्तरेतक कलौ हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. नदी तट पर स्थानीय प्रजाति (जैसे जामुन, करंज, अर्जुन एवं आम) के कम से कम 300 नग वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समवहार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सिंधानिया इंटरव्हाईजेस (रोहंसी लाईम स्टोन माईन्, पार्टनर श्री रोहित सिंधानिया), ग्राम-रोहंसी, तहसील-पलारी, जिला-बलीदासजार-भाटापारा (सचिवालय का नक्की क्रमांक 2610)

ऑनलाइन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432470/2023, दिनांक 09/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुस पत्थर (गीम खनिज) खदान है। ग्राम-रोहंसी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 475/7, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13, 476/14, 476/15, 476/16, 476/17, 476/19, 476/20, 476/21, 476/22 एवं 476/23 कुल क्षेत्रफल-3.652 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,50,123 टन प्रतिवर्ष है।

(विधानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।)

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत रोहंसी का दिनांक 21/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्ब क्वारी बलौदा प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो चप-संचालक (खनिज प्रशा.), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्र. 950/बी.03-3/न.क्र.10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 17/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 992/बी 3-3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 992/बी 3-3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 19/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स सिधानिका इंटरप्राइजेस के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा क्रमांक 228/बी 3-3/न.क्र 10/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला-बलौदाबाजार के द्वारा क्रमांक/तकनीकी/खनिज/01 बलौदाबाजार, दिनांक 02/01/2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण

M

पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की कक्ष से 240 मीटर की आकारीय दूरी पर है।

उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है—

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 147/99/10-3 दिनांक 12/01/2000 के द्वारा निम्न प्रावधान जारी किया गया है—

“प्रत्येक जिलाध्यक्ष द्वारा उत्खनन की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, जो कि वनमण्डलाधिकारी वनभूमि न होने की दशा में ही जारी करेंगे।”

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ 5/16/01/10-3 दिनांक 07/10/2002 के विन्दु (ख) में निम्न प्रावधान है—

“यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वनक्षेत्र के न होने के साथ ही वनक्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है, उसी स्थिति में क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।”

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ 5/16/01/10-3 दिनांक 17/08/2008 के द्वारा वनक्षेत्र से 250 मीटर के अंदर यदि खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुये खनिजपट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में अनुसंसा करने के लिए समिति का गठन किये जाने का पत्र में उल्लेख है।

मध्यप्रदेश राज्य में अविद्य उत्खनन के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र दिनांक 27/08/2008 में दिये गये निर्देश मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित थे तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः उक्त निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया जाये हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर तथा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/स-02/2022/150 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा जारी पत्र की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

उक्त के संबंध में समिति का मत है कि जारी निर्देश मध्यप्रदेश शासन से जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन से उक्त के संदर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं किये गये हैं। अतः वनक्षेत्र की सीमा से 250 मीटर की न्यूनतम दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जाना आवश्यक है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाम-खैरा 680 मीटर, स्कूल घाम-रोहारी 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सोनार देवरी 5.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 9.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.30 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी., तालाब 480 मीटर, नाला 560 मीटर एवं नहर 2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिपोलॉजिकल रिजर्व 26,47,700 टन, माइनेबल रिजर्व 14,45,752 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,73,484 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,236 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल 6928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जमित होगी। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओवर बर्डन जमित होगी। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में मौबाईल स्टोन क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 372 वर्गमीटर है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाब्लिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,019
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	1,50,018
चतुर्थ	1,50,123
पंचम	1,50,088

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बांधत सेन्ट्रल राइजिंग वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,239 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान के बाधपट्टी में (1,239 नम)	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,23,900	—	—	—	—
	फेंसिंग हेतु राशि	1,04,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	61,950	61,950	61,950	61,950	61,950
वृक्षारोपण हेतु	शिफ्टाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 15,42,850	4,94,850	2,61,950	2,61,950	2,61,950	2,61,950	

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संकेत विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
71.54	2%	1.43	Following activities at Village- Rohansi	
			Plantation around village pond & maintenance for 5 year	1.50
			Total	1.50

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 71 नग पौधों के लिए राशि 7,100 रुपये, फसिंग के लिए राशि 10,650 रुपये, खाद के लिए राशि 3,550 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 27,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 48,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,02,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोहंसी के सहमति उपरोक्त अध्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 543, क्षेत्रफल 3.804 हेक्टेयर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,478.25 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 6,928.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी जनित होगी, जिसमें से 2,188 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा एवं शेष 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को नाईनिंग स्कीम के तहत लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग (प्रस्तुत प्लान पिरियड के अनुसार नीर नाईनिंग) के 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा एवं आगामी नाईनिंग स्कीम के तहत इस मिट्टी का उपयोग पूर्णभरण में किया जाएगा अथवा लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, क्षेत्रफल 0.283 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। समिति का मत है कि 4,742.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कार्यों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा कण क्षेत्र में स्तरोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 22,434.75 घनमीटर है। प्रस्तुत प्लान पिरियड में कुल मात्रा 20,784.75 घनमीटर ओवर बर्डन जनित होगी, जिसमें से ओवर बर्डन का उपयोग आवेदित क्षेत्र के भीतर कृशर रैम्प निर्माण, हॉल रोड के विकास आदि कार्यों में किया जाएगा। समिति का मत है कि ओवर बर्डन प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ सनम के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अख्तियारित डिस्कोन्ट्रोल लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सस्वाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्युजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विल्लर्स द्वारा शीम्टकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. छातीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को संज्ञाकार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उत्ताके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे -
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जावेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटारे के लिए सैप्टिक टैंक और सीख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गार्लैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
 - v. खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सधन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथा संभव तालाब की चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा। प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 480 मीटर तथा नहर कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से iii के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आश्वासन का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.25 कि.मी., अस्पताल 6.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 680 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—

- i. खदान के माईन बालन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
- iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
- v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में वैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
- vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।
- vii. धूल एवं ब्लॉस्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लॉस्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे ब्लॉस्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
- viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से मुक्तता हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि स्थानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common



Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि न्यायिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. निकटतम वन क्षेत्र के तुरफ लीज क्षेत्र के भीतर कम से कम 10 मीटर की चौड़ाई तक के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखकर अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी (मात्रा 4,742.25 घनमीटर) को लीज क्षेत्र के भीतर 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु सुरक्षा कार्यों से ऊपरी मिट्टी की ऊंचाई तथा उच्च क्षेत्र में श्लोप की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. औडर बर्डन (मात्रा 20,784.75 घनमीटर) प्रबंधन योजना का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बड़ेकड़मा लाईन स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री संतोष नाग), ग्राम—बड़ेकड़मा, तहसील—दरभा, जिला—बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2511)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432857 / 2023, दिनांक 09/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम—बड़ेकड़मा, तहसील—दरभा, जिला—बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 558, 561, 562 एवं 563, कुल क्षेत्रफल—3,230 हेक्टेयर में से 3,042 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—35,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार नाग, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़ेकडमा का दिनांक 29/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-सहालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कांकोर के पृ. आपन क्रमांक 801-803/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2023 कांकोर, दिनांक 27/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. आपन क्रमांक 218/ खनिज/ख.लि.3/08/2021-22/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 03/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. आपन क्रमांक 220/खनिज/ख.लि.3/08/2021-22/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 03/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की संतोष नाम, आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2366/खनिज/ख.लि.3/08/2021-22/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 14/03/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी की जानकारी हेतु वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, जगदलपुर जिला-बस्तर में आवेदन किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-बड़ेकडमा 500 मीटर एवं अस्पताल जगदलपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। कांगेर नदी 3.35 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संयदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 6,48,428 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,97,033 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,598.33 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित

अधिकतम गहराई 9 मीटर (हिल लॉक 3 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,950 घनमीटर है, जिसमें से 4,558 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 391 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र से लगी हुई रथद की भूमि (खसरा क्रमांक 559, 561, 562 एवं 563, वृक्ष क्षेत्रफल-0.188 हेक्टर) में मण्डारित कर संतुलित रखा जाएगा। वीथ की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15.8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊश्चर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। जीक डैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टारिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	35,000

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस कार्य ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुल 1,520 नग पीछे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 1,65,520 रुपये, बंसिंग के लिए राशि 2,36,400 रुपये, खाद के लिए राशि 11,400 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,29,320 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 9,15,008 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48	2%	0.96	Following activities at nearby, Village-Bhadekadma	
			Plantation	3.369
			Total	3.369

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत "संचायत भवन को आस-पास एवं मुक्तिधाम में उपलब्ध भूमि" के तहत (नीम, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 23,000 रुपये, खाद के लिए राशि 390 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 68,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,190 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,41,700 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बडेकाढमा का सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत किये जाने कुल वृक्षारोपण को मुक्तिधाम में उपलब्ध भूमि में ही किये जाने बाबत उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सहमति/अनापत्ति पत्र में मुक्तिधाम में उपलब्ध भूमि का खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करती हुये संशोधित सहमति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रतीसवद आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत तय की गई निर्धारित कार्य को किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्नशव हेतु किये जाने, इस प्रकार मंडारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ घणम के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा शिविथ में कभी भी पर्यावरणीय सौकृती को बिना उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, ताला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

[Signature]

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि—

1. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत किये जाने कुल वृक्षारोपण को मुक्तिघाम में उपलब्ध भूमि में ही किये जाने बाबत उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही घाम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सहमति/अनापत्ति पत्र में मुक्तिघाम में उपलब्ध भूमि का खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये संशोधित सहमति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्लैमिंग का कार्य सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लभित नहीं है।
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. गैसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर— श्री मोहन लाल अग्रवाल), घाम—किरना, तहसील—पथरिया, जिला—मुनेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1461)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/428086/2023, दिनांक 13/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान घाम—किरना, तहसील—पथरिया, जिला—मुनेली स्थित खसरा क्रमांक 498, 479/1,

479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल-4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930 दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 568, दिनांक 19/07/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930 दिनांक 04/02/2021 से जारी टीओआर में "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 3 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.058 हेक्टेयर है" के स्थान पर "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर" हेतु टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, प्रोपरटाईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कोम्पोजीस रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौरा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली घमाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत किरना का दिनांक 07/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लीयरेंस प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उद्य संघालक (ख.प्रसा), जिला-बिलासपुर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1372/2/खनि/डोलेमाईट/उ.वो./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-नुरेली को ज्ञापन क्रमांक/2000/खनि-03/2021-22 नुरेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है।

12

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/808/खलि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलवेस्टेशन, नहर, भवन, स्कूल, धार्मिक स्थल, मरघट, अस्पताल, पुल, कलक्ट, बांध, नल-जल योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, आबादी क्षेत्र, अस्पताल, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पक्की सड़क 85 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. नर्मदा मिनरल्स के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 517/खलि 02/न.क्र.03/2020-21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तदुपरोक्त कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1896/खलि 02/न. क्र. 03/2020-21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) हेतु वैध थी। तदुपरोक्त एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भूमि की तथा खनिकर्मा, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 75/2022 द्वारा जारी धारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि अतीसगढ़ गौण नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरोक्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 488, 479/1, 479/2, 483/3, 487/4, 488/3 व 490/1 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 479/3 श्री वृद्धि रान, खसरा क्रमांक 482/2 व 489/2 नैसर्ग नर्मदा मिनरल्स, खसरा क्रमांक 487/2 श्रीमती रुपा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 480/1, 480/2, 480/3, 480/4 व 488/2 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 490/4 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 483/2 व 487/3 श्री भागवत प्रसाद एवं खसरा क्रमांक 489/1 श्रीमती शोभा अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामियों को सहमति पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल, जिला-मुंगेली के ज्ञापन/मा.वि./960/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 47 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन्यजीव अभयारण्य अध्यायकमार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि. मी. है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-किरना 355 मीटर, स्कूल घान-किरना 1.15 कि.मी. एवं अस्पताल सारागांव 5.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 440 मीटर एवं राज्यमार्ग 13.2 कि.मी. दूर है।

शिवनाथ नदी 3.30 कि.मी. लिजुआ नाला 50 मीटर एवं ताताथ 670 मीटर दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिडाली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।
12. खनन संघटा एवं खनन का विवरण – जिबोलॉजिकल रिजर्व 32,80,287 टन माईनेबल रिजर्व 17,94,543 एवं रिक्वर्डरेबल रिजर्व 17,04,816 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,145 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनडाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 14,992.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,293 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फेंकाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 12,700 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 311/1, 313/1, 313/4, 365/2 एवं 479/1 में सुरक्षित किया जाएगा। षेथ की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ज्वार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टम किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,040.53	षष्ठम	1,50,693.75
द्वितीय	1,97,928.56	सप्तम	1,50,800.63
तृतीय	2,00,212.50	अष्टम	1,51,408.25
चतुर्थ	1,98,858.25	नवम	1,51,762.50
पंचम	1,98,500.00	दशम	1,52,332.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरेवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,769 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,600 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,308 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, 345 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2 एवं 493) में किया जाएगा एवं 115 नग वृक्षारोपण नाले (खसरा क्रमांक 399 एवं 404/1) के तारफ किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी, लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 492/1, 492/2, 492/4, 494/1, 494/2 एवं 493) एवं 404/1) में कुल 1.789 वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,94,500	17,600	17,600	17,600	17,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,88,825	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	88,450	88,450	88,450	88,450	88,450
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
कुल राशि = 14,43,775	6,59,575	1,96,050	1,96,050	1,96,050	1,96,050	

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,145 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,600 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।

उक्त के संदर्भ परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 30/01/2017 से दिनांक 29/01/2019 की अवधि हेतु हाई-टेक रॉक प्रोजेक्ट एण्ड अग्नीगेट लिमिटेड कुर्ला रोड बकाला अंधेरी (पूर्व) मुंबई को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। हाई-टेक रॉक प्रोजेक्ट एण्ड अग्नीगेट लिमिटेड को खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान प्राधिकरण जिला मुंबई के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

उत्तीरगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार हाई-टेक रॉक प्रोजेक्ट एण्ड अग्नीगेट लिमिटेड की खदान में 6 मीटर की गहराई बढ़ा होना बताया गया है।

हाई-टेक रॉक प्रोजेक्ट एण्ड अग्नीगेट लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 483/2, 483/3, 489/1 एवं 490/1 पर पत्थर खनन किये जाने के कारण वर्तमान में आपके समक्ष आवेदित क्षेत्र के भाग में एक गहरा दृष्टिरोधक ही रहा है। अतः लीज क्षेत्र में विद्यमान गढ़वे में किए गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक बेसर्स नर्मदा मिनरल्स (पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल) से किसी प्रकार के संबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

[Handwritten signature]

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(a)(i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ईआईए रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	15	46	60
PM ₁₀	51	73	100
SO ₂	6	27	80
NO ₂	14	38	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ईआईए के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, हाइड्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	41.4	55.3	75
Night L _{eq}	37.2	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य स्तर:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13	42	50
PM ₁₀	50	75	100
SO ₂	7	21	80
NO ₂	13	35	80

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	42.1	54.2	75
Night L _{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- viii. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 786 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 89 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्परचात् कुल 855 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.24 होगी। रौ-मटेरियल/ड्रॉडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।
- ix. जी.एल.सी. की गणना:- खनन, लोडिंग-अनलोडिंग, भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों के परिवहन को समाहित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM₁₀ का अधिकतम मान 77.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है एवं PM_{2.5} का अधिकतम मान 42.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
- x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अपरान्त 11:00 बजे, स्थान - प्राथमिक शाला भवन, वरुवनकाफा, तहसील-फथरिया, जिला-मुंगेली में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है। खदान से पाईप के जरिये पानी तालाब में लाया जाए।
- आस पास की गांवों में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।
- हमारा घर खदान के बिलकुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- खनन गड्ढे में एकत्रित वर्षा जल को आवश्यकता पड़ने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- ई.एम.पी. के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा एवं धूल प्रदूषण से बचने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।
- लीज क्षेत्र के भीतर एम लीज क्षेत्र को 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है। डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लैस्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट करवाया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. ब्लैस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये ब्लैस्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। आत ब्लैस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टे मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टे मार्ग की कुल लम्बाई 480 मीटर	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
ब्लैस्टर पट्टे मार्ग (1.04 कि.मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130 में 1 कि.मी.) के दोनों तरफ (1,360 मग) वृक्षारोपण हेतु	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
पोसिंग हेतु राशि	1,36,000	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
सिन्हाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग (Half Yearly)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टे मार्ग के रख-रखाव हेतु	60,400	60,400	60,400	60,400	60,000

M&S

हेल्थ चेकअप कॅम्पस फॉर विलेजर्स	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 29,82,000	8,14,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000

कॉर्पोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर।	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
500 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (374 नग) वृक्षारोपण हेतु	1,50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (Half Yearly)	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
सड़क/पहुँच मार्ग के रख-रखाव हेतु	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
हेल्थ चेकअप कॅम्पस फॉर विलेजर्स	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
कुल राशि = 9,50,000	2,50,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपराल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
174.15	2%	3.48	Following activities at Village- Kirna	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.79
			Total	3.79

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 93 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 13 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 80 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,03,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये हेतु

घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत किरना के सहमति उपरोक्त पञ्चायोग्य स्वाम (खसरा क्रमांक 808) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक मकसद में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
24. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नकशे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।
25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेप्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर संचयन सुधारोपण किये जाने एवं सेप्टी पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. छलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विस्वर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निचालों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न धरतू अपशिष्टों के निपटान के लिए सैन्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. सफाई जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रैन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकता अनुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा।

v. खदान की बाधुड़ी के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 870 मीटर तथा नहर 1 कि.मी की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संघालन के दौरान उपरोक्त सिन्धु क्रमांक 1 से 4 के फालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन न्यायालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।

33. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

36. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाइन्स के अनुसार कंसल्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति की जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

38. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.15 कि.मी, अस्पताल 5.3 कि.मी एवं आबादी क्षेत्र 355 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में

प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन-समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—

- i. खदान के माईन वाउन्ड्री में चारों ओर स्थल वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टीकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कन्संट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं स्टास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड स्टास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित डिस्कोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे स्टास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. गाड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार कण्ठ, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केंद्रों के समुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
40. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परियोजना प्रस्तावक को स्टास्टिंग कार्य हेतु डी.जी.एम. एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एग्जीमेंट के स्टास्टिंग हेतु किये गये आवेदन को डी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एग्जीमेंट के उपरांत स्टास्टिंग हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति लिया जाएगा।
41. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भूमि की तथा खनिकर्म, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।
42. सी.ई.ओ.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपरवाइजर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के

पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-मुंगेली, गके जापन क्रमांक/2000/खनि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानों क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-किरना) का क्षेत्रफल 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-किरना) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.878 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (क्या संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार फ्लक्टर में आने वाली खदानों की उल्लंघन नतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु फ्लक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, फ्लक्टर हेतु कॉम्पन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संभालक, संभालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इटावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के भारी ओर 7.5 मीटर चौड़े शोपटी जोन में किये गये उल्लंघन हेतु जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संभालक, संभालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्न, इटावली भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. उल्लंघित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पक्षियों में वीधों का रोपण कर, वीधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफस को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल) को घाम-किरना, तहसील-पधरिया, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 488, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 489/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4 में स्थित डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.63 हेक्टेयर, उल्लंघन क्षमता-2,00,212 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में उचित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तयानुसार सूचित किया जाए।



5. मेसर्स शिताला मिनरल्स (लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम-लमती, तहसील-पधरिया, जिला-नुगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1453)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57902/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428189/2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-लमती, तहसील-पधरिया, जिला-नुगेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के जापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कंटेनरों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरमेंट जलीयरेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तापश्चात् एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के जापन क्रमांक 48, दिनांक 18/04/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के जापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 से जारी टी.ओ.आर. में "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.428 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है" के स्थान पर "आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.058 हेक्टेयर है एवं आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर" हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अधिक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉमनिजेंस रिसर्च इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अजयती बच्चने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुरुवनभावा का दिनांक 10/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्डियासैमेट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संधारक (खजरा), जिला-बिलासपुर के पृ. आपन क्रमांक 1373/2/खनि/डोलोमाईट/उ.पी./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक 1996/खलि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीतार अवधिमा अन्य 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.088 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक /804/खलि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर, रीड ब्रिज 130 मीटर एवं बरसाती नाला 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. सीताला मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक 513/खलि 02/न.क्र. 01/2020-21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तदुपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के आपन क्रमांक 1995/खलि 02/न. क्र. 01/2020-21 मुंगेली, दिनांक 27/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाधत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) हेतु वैध थी। तदुपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाधत न्यायालय संचालक, भूमिकी तथा खनिकम्, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 78/2022 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नौण नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सामयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. नू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 42, 83 व 84 श्री मोहन लाल अग्रवाल एण्ड शशि, खसरा क्रमांक 79, 91/1, 103/2 व 123 श्री मोहन लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 85/1, 93 व 95/2 श्रीमती उषा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 85/2, 90, 99, 101, 103/1, 107 व 118 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 89 शामिल 88 श्री जोगीराम घुव, खसरा क्रमांक 91/2 श्री रामकुमार, खसरा क्रमांक 92, 94, 104, 105 व 108 श्री गोविन्द अग्रवाल, खसरा क्रमांक 96 श्री बपीला प्रसाद, खसरा क्रमांक 98/1 व 122 श्री गोविन्द अग्रवाल एण्ड शशि, खसरा क्रमांक 98/2 श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 100 व 102 श्रीमती कृषा अग्रवाल एवं खसरा क्रमांक 119 व 120 श्री लखन, श्री जेदू, सुश्री कांति, सुश्री

मुन्नीबाई तथा सुभी मुन्नीबाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु मू-स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल, जिला-मुंगेली के आपन/मा.वि./962/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 52 कि.मी. की दूरी पर है। राज्य ही आवेदित क्षेत्र की सीमा से निकटतम कन्यजीव अभ्यारण अचानकगार टाईगर रिजर्व की दूरी 47 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कल्हा किसली की दूरी 83 कि.मी. है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाग-लमली 420 मीटर, स्कुल किरना 1.6 कि.मी. अस्पताल सारगाव 6.9 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 मीटर एवं राज्यमार्ग 126 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.4 कि.मी. लिजुआ नाका 50 मीटर एवं तालाब 530 मीटर की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संघटा एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 32,91,387 टन माईनेबल रिजर्व 17,23,881 एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,37,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,765 वर्गमीटर है। आपन कास्ट रोमी मेकनड्रैफ्ट विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,027.5 घनमीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊजार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,189.06	षष्ठम	1,37,013.75
द्वितीय	1,98,253.13	सप्तम	1,37,085.00
तृतीय	1,99,820.63	अष्टम	1,38,621.88
चतुर्थ	2,00,390.63	नवम	1,37,868.75
पंचम	2,01,316.88	दशम	1,38,937.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घाग पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में घाग पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल घाग वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 2,045 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के

धारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित होने के कारण 7.5 मीटर की पट्टी में 1,407 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, 638 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र के निकट सहकारी प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 88 शामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
लीज क्षेत्र की सीमा में धारी और 7.5 मीटर की पट्टी एवं लीज क्षेत्र के निकट सहकारी प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 88 शामिल 89, 95/1, 96, 97, 98/2, 124 एवं 126/2) में कुल 2,045 नग वृक्षारोपण हेतु	2,24,900	20,400	20,400	20,400	20,400
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन वर) हेतु राशि					
कॉसिंग हेतु राशि	1,70,375	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250	1,02,250
सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,90,475	90,350	90,350	90,350	90,350
कुल राशि = 15,40,000	6,88,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000	2,13,000

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के धारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी क्षेत्रफल 8,785 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,730 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उत्खनन माईनिंग प्लान में किया गया है।

उक्त के संदर्भ परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में आवेदित क्षेत्र के मध्य एवं पश्चिम दिशा के भाग में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 02/02/2017 से दिनांक 01/03/2019 की अवधि हेतु मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.पी.) लिमिटेड को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत था। मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.पी.) लिमिटेड को खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 रकबा 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर एवं खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 रकबा 0.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान प्राधिकरण जिला मुंगेली के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।

उत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6(ख) के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.पी.) लिमिटेड की खदान में 8 मीटर की गहराई गढ़ा होना बताया गया है।

मेसर्स बेक बोन उत्कल (जे.पी.) लिमिटेड के द्वारा पूर्व में खसरा क्रमांक 90, 91/1, 91/2, 95/1 एवं 95/2 तथा खसरा क्रमांक 94, 99, 100, 101 एवं 102 पर पत्थर खनन किये जाने के कारण वर्तमान में आपके समक्ष आवेदित

क्षेत्र के भाग में एक गड़ड़ा दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः सीज क्षेत्र में विद्यमान गड़ड़े में किए गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक मेसर्स शिवाला गिनरला (पार्टनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल) से किसी प्रकार के संबंध के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति का मत है कि उल्लिखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पक्षियों में पीछों का रोपण कर, पीछों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (B) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइनिंग क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	15	46	60
PM ₁₀	51	73	100
SO ₂	6	27	80
NO ₂	14	38	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाए गए टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लीड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	41.4	55.3	75
Night L _{eq}	37.2	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 10 जनवरी 2023 के कक्ष किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	13	42	60
PM ₁₀	50	75	100
SO ₂	7	21	80
NO ₂	13	35	80

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	42.1	54.2	75
Night L _{eq}	38.2	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- viii. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 796 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.22 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 89 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 885 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.24 होगी। रै-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (VERY GOOD) के भीतर है।

- ix. जी.एल.सी. की गणना— खनन, लोडिंग-अनलोडिंग भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों के परिवहन को समाहित करते हुये जी.एल.सी. (GLCs) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार PM₁₀ का अधिकतम मान 77.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है एवं PM_{2.5} का अधिकतम मान 42.10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ है, जो कि निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।

- x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 13/10/2022, अपराह्न 11:00 बजे, स्थान - प्राथमिक शाखा भवन, दरुवनकापा, तहसील-प्यरिया, जिला-मुंगेली में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दरशावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 17/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी सूख जाता है। खदान से पाईप के जरिये पानी तालाब में लाया जाए।
- आस पास के गावी में खदान के कारण खेती में फसल उत्पादन नहीं हो रहा है।
- हमारा घर खदान के बिलकुल नजदीक है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- खान गड्ढे में एकत्रित वर्षा जल को अवश्यकता पड़ने पर जलता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- ईएमपी के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा एवं मूल प्रदूषण से बचने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा जिससे की फसल उत्पादन प्रभावित न हो।
- लीज क्षेत्र के भीतर एवं लीज क्षेत्र के 200 मीटर के भीतर कोई घर नहीं है। डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट कराया जाएगा। जिससे आस पास के घरों पर असर नहीं पड़ेगा।

20. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कलस्टर में कुल 4 खदानें अभी है। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न मूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 480 मीटर	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
कलस्टर पहुंच मार्ग (1.04 कि.मी.) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130 में 1 कि.	1,49,600	13,600	13,600	13,600	13,600
वृक्षारोपण (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि					
फौरम हेतु राशि	1,36,000	-	-	-	-
खाद हेतु राशि	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000

सी) के दोमो तरफ (1.360 मग) कुशरोपण हेतु	सिचाई एव रख-रखाव हेतु राशि	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000	1,90,000
इन्वोयरोमेंट मॉनिटरिंग (Half Yearly)		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़क/पट्टीय मार्ग के रख-रखाव हेतु		60,400	60,400	60,400	60,400	60,000
हेल्थ चेकअप कौन्स फॉर विलेजर्स		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 29,82,000		8,14,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000	5,42,000

जीवन इन्वोयरोमेंटल मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 582 मीटर।	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
582 मीटर मार्ग के दोमो तरफ (368 मग) कुशरोपण हेतु	1,56,000	78,000	78,000	78,000	78,000
इन्वोयरोमेंट मॉनिटरिंग (Half Yearly)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संधारण हेतु	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
हेल्थ चेकअप कौन्स फॉर विलेजर्स	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
कुल राशि = 9,93,000	2,61,000	1,83,000	1,83,000	1,83,000	1,83,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
102.6	2%	2.052	Following activities at Village- Lambi	

		Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	2.28
		Total	2.28

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के घाटों और (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में 10 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 60 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 39,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 60,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,68,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दुरुवनकांथा के सहमति उपरोक्त यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 237) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 11,027.5 घनमीटर है। जिसमें से 2,487 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा घट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। शेष 8,560.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की नूनि (खसरा क्रमांक 18 एवं 22, रकबा 0.401 हेक्टेयर) में संरक्षित किया जाएगा।
24. चलस्टर हेतु कॉमन इन्डायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
25. चलस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्डायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।
26. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसतव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से न्युजिटिव इस्ट एक्सपोजन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान खालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
- आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
 - खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेंट्रिक टैंक और सीख बड़ड़े प्रदान किये जाएंगे।
 - सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारडबैंड ड्रेन एवं सेंट्रलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
 - खदान के अंदर पर्वों द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
 - खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 530 मीटर तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि कृतीसंग्रह गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त विन्दु क्रमांक 1 से 4 के बालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा बालन किया जावेगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जाएगा।

37. समुदाय पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईकलाइन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जाएगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
38. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा सेजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
39. प्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.50 कि.मी., अस्पताल 5.90 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 420 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
 - i. खदान के माईन वाउन्ड्री में घाटी और सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कौम्य लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का चारुड लेवल कन्संट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं प्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लेस्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले निर्धारित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे प्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

- viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु निर्धारित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
- ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की NOISE MODELING के अनुसार क्वार, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण बैंडों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये हैं, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
41. जारी टी.ओ.आर. अनुसार परियोजना प्रस्तावक को क्लारिफिकेशन कार्य हेतु डी.जी.एम. एस. से अनुमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना था, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि बिना लीज एरीमेंट के क्लारिफिकेशन हेतु किये गये आवेदन को डी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने एवं लीज एरीमेंट के उपरांत क्लारिफिकेशन हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति लिया जाएगा।
42. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोफटी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाना आवश्यक है।
43. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में वृक्षारोपण कार्य की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम प्रयागत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा घट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खनि-03/2021-22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य 3 खदानें क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-लमती) का क्षेत्रफल 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-लमती) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 16.875 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं नाननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लरिफिकेशन में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लरिफिकेशन में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करनी हूये, क्लरिफिकेशन हेतु कॉमिन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा किष्कान्धित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इटावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

3. वाईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफटी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषों के दुरुस्ति कार्यवाही हेतु संघालक, संघालनालय, नौमिक्की तथा खनिकर्म, इन्द्राक्ली भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ) को लेख किया जाए।
4. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभरण प्लान (Restoration plan) एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पक्कियाँ में पीछों का रोपण कर, पीछों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफस को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की तर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सखत अनुशंसा की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स शितला मिनरल्स (लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री नवीष कुमार अग्रवाल) को ग्राम-लमती, तहसील-पधरिया, जिला-सुनेली के खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.819 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-2.01,318 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिष्ट-02 में वर्णित तर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स कान्हा मिनरल्स (प्रो.- श्री मुकेश कुमार विधानी), ग्राम-जयरामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1479)

ऑनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58737 / 2020, दिनांक 30/11/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 433163 / 2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जयरामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/8, कुल क्षेत्रफल-2.995 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-49,999.95 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ के आपन दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण सी1 कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ के आपन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिलेन्द्र कर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉम्पनीजैस रिसर्च इम्प्लिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अंजली मघाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं ऊत्तर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जयसामनगर का दिनांक 25/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ड्रापन क्रमांक 2947/ख.लि./तीन-1/2018 बलीदाबाजार, दिनांक 22/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ड्रापन क्रमांक/1738/ख.लि./न.क्र./2020 बिलासपुर, दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 5.681 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ड्रापन क्रमांक/2341/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एन्टीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। पक्की सड़क 135 मीटर की दूरी पर है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ड्रापन क्रमांक/133/ख.नि./उ.प./2018 बिलासपुर, दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक की। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भूमि की तथा खनिकर्मा, नवा रायपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 12/2019 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए जिला कार्यालय (खनिज शाखा) बिलासपुर के पत्र दिनांक 20/04/2018 द्वारा जारी आदेश पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स कन्हा मिन्टेल्ल प्रो. नुकेश कुमार किशानी, निवासी गुरुनानक चौक तोरवा जिला बिलासपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संचयन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिच्छेद में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संकेत में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (सीमाही सीला रानी सिंह, घाम-जयरामनगर, खरारा क्रमांक 252/1, रकबा 3.5 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलधिकारी बिलासपुर, वनमण्डल, जिला-बिलासपुर के आपन/ना.पि./3991 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाम-जयरामनगर 500 मीटर, स्कूल घाम-जयरामनगर 570 मीटर एवं अस्पताल जयरामनगर 2.10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 340 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। लोलागर नदी 4.8 कि.मी., अरुवा नदी 5.6 कि.मी., मोरानी नाला 4.5 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 210 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन शेषदा एवं खनन का विवरण - जिखोलाजिकल रिजर्व 4,49,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,03,314 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,72,982 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,054.58 वर्गमीटर है। आपन कास्ट सीमा मेंकैन्साईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,019.14 घनमीटर है, जिसमें से 2,274 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, शेष 8,745 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि खरारा क्रमांक 743/1 एवं 743/6 में मण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समाप्तित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में जल संस्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,251.68 वर्गमीटर है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिंटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,977.53
द्वितीय	49,990.95
तृतीय	2,477.48
चतुर्थ	2,422.88
पंचम	2,364.53

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंटल बोर्डर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं खसरा क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में 1,630 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की बाधण्ड्री एवं खसरा क्रमांक 743/2, 732 एवं 731/1 में (1,630 नग) वृक्षारोपण हेतु	केंसिंग हेतु राशि	1,79,300	16,300	16,300	16,300	16,300
	केंसिंग हेतु राशि	1,67,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
	सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 15,19,000		5,67,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800	2,37,800

उपरोक्त भूमि पर वृक्षारोपण, केंसिंग व पौधों के रख-रखाव किये जाने बाबत भूमि स्वामियों शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय शीक्रे की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध जांच उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिकल्पना मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गईं हैं। शर्तें क्रमांक 58110 के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार गाईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 दिसम्बर 2020 से 28 फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20	41	60
PM ₁₀	42	73	100
SO ₂	5	13	80
NO ₂	10	25	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार बलौचाइइरा, गाइटेटरा, सल्कर, कार्बोनेटरा, लेख, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक लवों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	34.4	45.3	75
Night L _{eq}	29.1	36.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सथापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 25 नवम्बर 2022 से 25 दिसम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर रातही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	21	42	60
PM ₁₀	43	75	100
SO ₂	5	17	80
NO ₂	10	27	80

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	36.8	45.5	75
Night L _{eq}	29.4	33.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- viii. पी.सी.यू की गणना:- चारों गड़नों / मल्टीएक्सल हेवी गड़नों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान

में 222.6 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.037 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 71.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 294 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। री-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड करिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के नीचे है।

ix. जी.एल.सी. की गणना:-

S No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) Aermod Model	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	PM ₁₀	73	5.87261	78.87
2.	PM _{2.5}	40	3.69	43.69
3.	SO ₂	13	2.05	15.05
4.	NO ₂	21	1.23	22.23

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. लोक चुनवाई दिनांक 30/09/2022, पूर्वाह्न 12:00 बजे, स्थान - जयसमनगर स्टेडियम, जयसमनगर तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर में सम्पन्न हुई। लोक चुनवाई दस्तावेज सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 21/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- हमारे घास में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। सामयासी बेरोजगार हो चुके हैं।
- हमारा खेत खदान के नजदीक में है, 50 एकड़ जमीन बरबाद हो गया है, मिट्टी को खेत में फेंक देते हैं। सबसे सजी रोटी मिलेगा कहते हैं पर सब काम ती मशीन से होता है।
- हमारा खेत खदान से लगा हुआ है। खदान खुलने से आवृत्ति है। नाली जाम हो गया है तथा नाली से मिट्टी निकलवाया जाए।

लोक चुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय छात्रीणी को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- आवेदित खदान निजी भूमि पर है, आस-पास की जमीनों बकर जोन में मिट्टी की उर्वरा शक्ति, पानी की गुणवत्ता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जांच की जावेगी एवं उचित निराकरण किया जावेगा।
- जलप्रवाह को सुचारु रखने के लिए खदान के चारों ओर उचित नाली का निर्माण किया जावेगा।

19. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें

आती है। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान की तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 3.4 कि.मी.	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
कलस्टर पहुँच मार्ग (3,400 मीटर) के दोनों तरफ (2,268 नम) वृक्षारोपण हेतु	8,93,000	3,26,000	3,26,000	3,26,000	3,26,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेकअप कॅम्प	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 45,37,000	13,61,000	7,94,000	7,94,000	7,94,000	7,94,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,175 मीटर।	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
हरित पट्टिका के विकास हेतु सामान्य मार्ग के दोनों तरफ (784 नम) वृक्षारोपण हेतु	3,38,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000	1,42,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
हेल्थ चेकअप कॅम्प	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 13,31,000	4,23,000	2,27,000	2,27,000	2,27,000	2,27,000

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75.37	2%	1.51	Following activities at Village- Jairamnagar	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	1.53
			Total	1.53

21. सीईआर. के अंतर्गत तालाब के घाटी और (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों के) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 28,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 49,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,53,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जयसामनगर के सहमति उपरान्त तालाब (खरारा क्रमांक 245) के घाटी और वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
22. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
23. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।
24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी ज़ोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुसुयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ धमन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ध्वारिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकसित भासत संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकाशों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
- आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जावेगा।
 - खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सैप्टिक टैंक और शौच गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेप्टेजिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोत में छोड़ा जावेगा।
 - खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
 - खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 300 मीटर तथा नहर 210 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के फालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जाएगा।
32. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 570 मीटर, अस्पताल 3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में



वर्षित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्वाओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-

- i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तात्कालिक से ट्रककर किया जावेगा, जिससे रातों में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में रोजाना लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का वायुमंडल लेवल कन्सट्रेंशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं ब्लैस्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड प्लानेटर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले निष्क्रिय विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे ब्लैस्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - ix. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार क्रशर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
34. लोकचुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य वास्तु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाइन्स के अनुसार क्लरटर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जावेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस परिषोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।
37. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि नाननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause

vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

39. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपरसाइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के दायन क्रमांक/1738/खनि./न.क./2020 बिलासपुर दिनांक 04/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानों क्षेत्रफल 5.881 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जयरामनगर) का क्षेत्रफल 2.995 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जयरामनगर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.876 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु कॉम्पन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीवटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को प्रति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कल्हा मिन्सल्स (प्री- श्री नुकेश कुमार विधानी) को ग्राम-जयसामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/8 में स्थित घुना पाथर (मीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.996 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-49.996 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों की अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन), ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-जाजगीर-बाघा (वर्तमान में जिला-राजकी) (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1498)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 59329 / 2020, दिनांक 22 / 12 / 2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 432474 / 2023, दिनांक 13 / 08 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (मीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-जाजगीर-बाघा (वर्तमान में जिला-राजकी) स्थित खसरा क्रमांक 1263/1, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 09 / 04 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेपड्राई टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वोल्वमेंट क्लीयरेंस अप्रॉपर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित शर्तों 1(ए) का स्टेपड्राई टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित), जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11 / 08 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार को रूप में मेसर्स कोमनीजेश रिचर्च इमिडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, नॉएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली प्रधाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1263/1, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर, क्षमता-17,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर

पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 18/03/2018 को जारी की गई।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 21/09/2022 को किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, विलासपुर के आपन दिनांक 03/04/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की गई।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँपा के आपन क्रमांक 2188/ख.लि./2022 जांजगीर, दिनांक 04/08/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	11,000
2017-18	15,500
2018-19	15,000
2019-20	16,000
2020-21	15,500
2021-22	17,500

समिति का मत है कि अप्रैल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनाथित प्रमाण पत्र - कहर की स्थापना एवं उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलसरा का दिनांक 08/08/2008 का अनाथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - संशोधित खारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त सहायक, सहायक, सी.एम.डी तथा खनिक, नवा रायपुर अटल नगर के आपन क्रमांक 3912/माईनिंग-2/एच.पी./एच.नं.100/2015 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँपा के आपन क्रमांक/2173/ख.लि./नं.क्र./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.489 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँपा के आपन क्रमांक/2174/ख.लि./नं.क्र./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूरी पर है।



6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अरविन्द सोनी के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/07/2018 से 19/07/2068 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलअधिकारी जांजगीर-घांसा वनमण्डल, घांसा के डायन क्रमांक/ मापि / 1386 / 2008 / घांसा, दिनांक 13/03/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-अकलसरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-अकलसरा 750 मीटर एवं अस्पताल अकलसरा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 कि.मी. एवं राजमार्ग 139 कि.मी. दूर है। सोन नदी 8 कि.मी., बोई नदी 8 कि.मी., नहर 4.4 कि.मी. एवं खालाव 19 कि.मी. भीरामी नाला 50 मीटर की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलैजिकल रिजर्व 29,34,075 टन, माईनेबल रिजर्व 16,86,422 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 15,82,797 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,870 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईण्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 14,800 घनमीटर है, जिसमें से 2,058 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में बँलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 12,742 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को उत्तरी दिशा में नाला एवं आवेदित क्षेत्र के मध्य की शासकीय भूमि में बण्ड बनाने हेतु भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृषि स्थापित नहीं है ए व इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लॉस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,770	षष्ठम	1,56,398
द्वितीय	2,31,921	सप्तम	1,40,720
तृतीय	2,49,020	अष्टम	1,22,553
चतुर्थ	2,40,470	नवम	89,751
पंचम	1,90,596	दशम	30,400

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से किया जाता है। इस बाधर सेंट्रल प्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

[Handwritten Signature]

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,167 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की बाउण्ड्री में, (1,167 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,28,300	11,600	11,600	11,600	11,600
	फसिंग हेतु राशि	97,208	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350
	शिफार्ड, रस्स-रखाव आदि हेतु राशि	1,40,000	1,40,342	1,40,000	1,40,000	1,40,000
कुल राशि = 12,84,000		4,23,858	2,10,292	2,09,250	2,09,250	2,09,250

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 22 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक मजद किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ_x, एनओ_x का सान्द्रण लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	22	42	60
PM ₁₀	44	72	100
SO ₂	4	14	80
NO ₂	11	26	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दराजि गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, हाइड्रोइड्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य स्थायिक कचरे का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	36.7	47.4	75
Night L _{eq}	30.7	38.3	70

जो उक्त क्षेत्र को निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी. की गणना—

S No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM ₁₀	72	5.87261	77.87

16. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएजल हेवी वाहनों को समाहित करते हुए दैनिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 264 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं जी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.044 है। प्रस्तावित परियोजना उपरंत 210 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 474 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं जी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.079 होगी। विस्तार के उपरंत पी.सी.-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लंबाई बेरिन श्रमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/05/2022, प्रातः 11:00 बजे, स्थान — अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा, विकासखण्ड—जैजैपुर, जिला—जाजगीर—भापा में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर के पत्र दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- यहां प्लास्टिक के कारण जर्जर स्थिति बनी हुई है। सड़के खराब हो गई हैं। मनका दाईं मंदिर का शस्ता भी काफी खराब हो गया है।
- डोलोमाइट खदान के कारण पूरे गांव में प्रदूषण फैल चुका है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की बिमारियां फैल रही हैं। जल स्तर काफी नीचे गला गया है, मछलियां खत्म हो गई हैं। उस क्षेत्र का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है।
- उत्खनन क्षमता बढ़ाने से हमारे गांव के किसानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। खदानों से खेती बाड़ी समाप्त हो रही है।
- पहले खम्हरिया से लगा जंगल था, यहां पर सिपार थे, जानवर खत्म हो गये हैं। स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया गया था कि मैं खदान संचालन नहीं करूंगा। खदान तत्काल बंद होना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

- उत्तीरगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए ही आवेदन किया गया है। प्लास्टिक के कचरे/झो के पूर्णतः पालन करते हुए जी.जी.एम.एस. से पंजीकृत प्लास्टिक कोन्ट्रैक्टर द्वारा नियंत्रित प्लास्टिक की जावेगी।
- प्राकृतिक सतही जल प्रवाह को सुचारु बनाए रखने हेतु पट्टा क्षेत्र के घाटी और गारलैंड ड्रेन का निर्माण किया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर निर्धारित रूप से पानी का छिड़काव कर वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा।

- ii. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत खनन क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। बाइनों का संघालन तारपोलिन के डंककर किया जावेगा एवं पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम को लागू किया जावेगा।
- iv. आवेदित भूमि क्षेत्र में उत्खनन हेतु सभी संबंधित विभागों जैसे खनिज विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि के कानूनसम्मत नियमानुसार निरीक्षण के बाद प्रक्रिया को तदनु अनुमति दी गई है।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 2 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल प्रत्यर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 3.750 मीटर	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
घाम सड़क मार्ग (3.75 कि.मी.) के दोनी तरफ (2.500 नग) वृक्षारोपण हेतु	2,75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
कोरिडोर हेतु सड़क	3,75,000	-	-	-	-
खाद हेतु सड़क	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000	1,25,000
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु सड़क	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000	2,80,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
हेल्थ सेक्यूरिटी कोष	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
कुल राशि = 58,05,000	16,61,000	10,36,000	10,36,000	10,36,000	10,36,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 1,780 मीटर।		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
संज्ञित परिसरों के विकास हेतु प्राथमिक सड़क मार्ग के दोनों तरफ (1,188 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,30,400	11,800	11,800	11,800	11,800
	फँसिंग हेतु राशि	1,77,900	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,41,400	1,40,900	1,40,900	1,40,900	1,40,900
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संभारण हेतु		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
हेल्थ चेकअप कैंप		48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
कुल राशि = 29,77,000		8,33,000	5,38,000	5,38,000	5,38,000	5,38,000

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपराल निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
119.72	2%	2.40	Following activities at Village- Akalsara	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.27
			Total	3.27

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत सात्वत के चारों ओर (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों के) वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 88 नग पौधों के लिए राशि 12,750 रुपये, फँसिंग के लिए राशि 12,750 रुपये, खाद के लिए राशि 4,250 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 60,500 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष

में कुल राशि 90,250 रुपये तथा अगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,37,000 रुपये हेतु घंटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा काम वधायत अफलसरा के सहमति उपरंत तालाब (खसरा क्रमांक 562) के चारों ओर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग फुल-मराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ प्रमाण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. स्टाफिंग का कार्य डी.डी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से पसुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री मिस्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. फलसामृद्ध आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पार्लियामेंट, इन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लभित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जावेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अर्शिश्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सीख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

- iii. सतही जल को संरक्षण के लिए खदान को घासी और गारलैंड ड्रेन एवं प्रोटैसिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।
- iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार चागीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
- v. खदान की बाउंड्री के घासी और सधन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- vi. यथा संभव तालाब के घासी और भी सधन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.9 कि.मी. तथा नहर 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के चालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोक जा सकेगा।

31. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अंतरार भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 740 मीटर, अस्पताल 15 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-

- i. खदान की माईन बाउंड्री में घासी और सधन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- ii. धूल (डस्ट) को निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
- iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन हरपोलिन से इकठ्ठर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
- iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
- v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैंम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
- vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का घाउंड लेवल कन्संट्रेशन CMCB के मानकों के भीतर पाये गये हैं, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
- vii. धूल एवं स्टाइलिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लेस्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले निराश्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे स्टाइलिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

- viii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आवासीय क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
- ix. आवाहन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELING के अनुसार जलर, परिवहन तथा विभिन्न ध्वनि परीक्षण केंद्रों के संयुक्त परीक्षण, रात एवं दिन में CPCB के मानकों को भीतर पाये गये हैं, जहां आवासीय क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर प्रभाव नगण्य होगा।
33. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों काबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुकूलन के लिए पर्यावरण के गाईडलाइन्स के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किया जावेगा जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति कि जावेगी, इन आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रक्रिया देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
38. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा फट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा फट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाधा के द्वारा क्रमांक/2173/ख.लि./न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.469 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अकलसरा) का क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकलसरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.516 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण वह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.

जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार अलस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु अलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए अलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्लायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्म इंडास्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. अप्रैल 2022 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहाय अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन) को ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजीपुर, जिला-जाजगीर-बांवा (वर्तमान में जिला-सक्ती) के खसरा क्रमांक 1283/1 में स्थित डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.047 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स जगदीश आधरन प्राइवेट लिमिटेड, इन्डस्ट्रीयल एरिया सिलतारा, फंस-2, ग्राम-बरोदा, धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2512)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 432929/ 2023, दिनांक 10/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कर्मचालय के तहत इन्डस्ट्रीयल एरिया सिलतारा, फंस-2, ग्राम-बरोदा, धरसीवा, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3, 154/5, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 165/1, 166/3, 166/4 एवं 166/5, कुल क्षेत्रफल-9.524 हेक्टेयर में रेगुलराइजेशन ऑफ रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स, थू इन्फ्रस्ट्रक्चर फर्निश एण्ड सीरीसएम (हॉट चार्जिंग) क्षमता-29,500 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष, पाईप मिल व रोलिंगमाइजिंग प्रोडक्ट्स क्षमता-28,550 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष एवं आधरन फिन्स साई रोलिंग इन्डिग प्रोडक्ट क्षमता-3,127 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिर्दिष्ट रूप 4.5 करोड़ होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के इश्यु दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हिमांशु सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स धू-इण्डवशन फर्नेस एण्ड सी.सी.एम. (हॉट चार्जिंग) क्षमता - 29,500 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 14/03/2022 को जारी की गई, जो कि उत्पादन प्रारंभ माह के प्रथम दिन से 12 माह की अवधि तक वैध है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेगुलराइजेशन ऑफ रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स धू इण्डवशन फर्नेस विथ सी.सी.एम. (हॉट चार्जिंग) क्षमता-29,500 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष, पाईप मिल व गैल्वेनाइजिंग प्रोडक्ट्स क्षमता-26,550 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष एवं आयरन पिप्स बाई स्लैंग क्रशिंग प्रोडक्ट क्षमता-3,127 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रि-रोल्ल प्रोडक्ट्स धू इण्डवशन फर्नेस विथ सी.सी.एम. (हॉट चार्जिंग) क्षमता-29,500 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु सम्मति जारी की गई है। समिति का मत है कि पाईप मिल व गैल्वेनाइजिंग प्रोडक्ट्स क्षमता-26,550 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष एवं आयरन पिप्स बाई स्लैंग क्रशिंग प्रोडक्ट क्षमता-3,127 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु जारी सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी -

- समीपस्थ आबादी घरीदा 1 कि.मी., स्कूल घरीदा 1.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 7.6 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। खासून नदी 2.2 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उद्योग स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत घरीदा का दिनांक 07/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 147/1, 153/1, 153/3, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 166/3 एवं 166/6 श्री पीटारी सिंह, श्री अनिल कुमार, सिंह, श्री संजय कुमार सिंह, श्री हिमाशु सिंह, श्री संजीव सिंह, श्री उददेशिका कुमार सिंह, श्री सुभाशु सिंह एवं श्री सिद्धार्थ सिंह के नाम पर है। खसरा क्रमांक 154/1, 154/3 एवं 164/5 मैसर्स जगदीश ऑयल प्राइवेट लिमिटेड, सुभाष सिंह, बृजनारायण सिंह, श्री राम सिंह एवं जगदीश सिंह के नाम पर है। समिति का मत है कि भूमि खसरा क्रमांक 147/1, 153/1, 153/3, 154/2, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 166/3 एवं 166/6 हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र एवं खसरा क्रमांक 165/1, 166/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3 एवं 146/4 का भूमि संबंधी दस्तावेज मंगाना जाना आवश्यक है।

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Shed	6,134.65	6.37
2.	Rolling Mill Shed	6,500.24	6.86
3.	Pipe Mill Shed	5,465.32	5.88
4.	Galvanizing Area	4,153.21	4.32
5.	Slag Crushing Shed	2,352.46	2.44
6.	Raw Material Storage Yard	3,261.5	3.80
7.	Finished Goods Area	2,836.54	2.9
8.	Green Belt	40,420.8	42
9.	Parking Area	2,090.70	2.13
10.	Road Area	18,654.65	19.0
11.	Other Built Up	4,123.64	4.26
12.	Open Space	146.29	0.15
	Total	96,240	100

6. रॉ-मटेरियल –

Raw Material required for the manufacturing of Billets

S.No	Name of Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Sponge Iron	27,000	Open Market	By Road
2.	Scrap	3,200	Open Market	By Road
3.	Alloy	800	Open Market	By Road
	Total	31,000		

Raw Material required for the manufacturing of (Re-rolled Products)
Hot Charging Re-rolling Mill

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Hot Billets	29,500	Captive Plant	By Road

Raw Material required for the manufacturing of Pipe Mill & Galvanizing Unit

S.No	Name of Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	MS Strip	29,500	Captive Generation from Billet IF	By Road
2.	Zinc	1,018	Open Market	By Road
3.	Lead	12	Open Market	By Road
4.	Acid	900	Open Market	By Road
5.	Lime Treatment	641	Open Market	By Road

Material Balance

Material balance for Billets

S.No	Input		Output	
	Item	Quantity (TPA)	Item	Quantity (TPA)
1.	Sponge Iron	28,000	Billets	29,500
2.	Scrap	3,500	Slag	3,127
3.	Alloy	1,800	Burning Loss	873
	Total	33,300		33,300

Material balance for Rolled Product through Hot Charging

Description	Input	Output
Ingots/Billets	29,500	-
Re-Roled Steel Products	-	29,500
Total	29,500	29,500

Material balance for of MS Pipe Mill & Galvanizing Unit

S.No	Input		Output	
	Name of Raw Material	Quantity (TPA)	Item	Quantity (TPA)
1.	MS Strip	29,500	MS Pipe /Galvanizing Pipe	26,550
2.			MS Scrap	2,950
	Total	29,500		29,500

समिति द्वारा पता चला गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रोल-मटेरियल की जानकारी एवं प्रस्तुत मटेरियल बैलेंस की जानकारी में भिन्नता है। अतः समिति का मत है कि रोल-मटेरियल एवं मटेरियल बैलेंस स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था - रोलिंग मिल से मिल स्केल-800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को पुनः उपयोग किया जाएगा। स्लेग 3:127 टन प्रतिवर्ष जनित होगा, जिसका क्वेश्चन यूनिट में उपयोग किया जाएगा।
9. जल प्रबंधन व्यवस्था -
 - जल खपत एवं स्रोत - परियोजना हेतु कोश वॉटर, ग्रीन बेल्ट एन डस्ट स्टेशन हेतु जल प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - भू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार-
 - (अ) गृह एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत शुद्धित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑटोफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।
10. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था - रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. विद्युत आपूर्ति स्रोत - वर्तमान में परियोजना हेतु 7 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में डी.जी. की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी - हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4.042 हेक्टेयर (42 प्रतिशत) क्षेत्र में 10,105 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वेबलाईन काटा कलेक्शन का कार्य मार्च 2023 से मई 2023 तक किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पाईप मिल व गैल्वनाईजिंग प्रोडक्ट्स क्षमता-28,550 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष एवं आयसन पिप्स बाई स्टीन क्रशिंग प्रोडक्ट क्षमता-3,127 मिट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु जारी सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि खासतः क्रमांक 147/1, 153/1, 153/3, 154/2, 155/1, 156/2, 155/3, 155/4, 166/3 एवं 166/8 हेतु न्यू-स्वामियों का सहमति पत्र एवं खासतः क्रमांक 185/1, 166/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3 एवं 146/4 का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत गै-मटेरियल की जानकारी एवं प्रस्तुत मटेरियल बैलेस की जानकारी में निम्नता है। अतः गै-मटेरियल एवं मटेरियल बैलेस स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना हेतु फेंस वॉटर, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्टेशन हेतु जल प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. गैन वॉटर हार्बीस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में डी.जी. की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समग्रवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त मांगित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

9. गैराल कोरिया स्टीन क्रशर (दोभापानी आर्द्विगरी स्टीन गाईन्, प्रो.- श्रीमती शोभा चौदह), ग्राम-दोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 2513)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432580/2023, दिनांक 11 /06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित साधारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-होभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-9,366.67 टन प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक की एस्.ई.ए.सी. सल्लीसगढ़ के छापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अकाश चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में जारी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 432, कुल क्षेत्रफल-1.32 हेक्टेयर, क्षमता-9,366.67 टन (3,469.14 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 01/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 6 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 29/02/2024 तक वैध होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के छापन क्रमांक 747/खनिज/उप/2023 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर में)
2018	69
2019	321
2020	248



2021	252
2022	613

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमापित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 08/12/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी स्क्रीन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एफड क्वारी क्लोजर स्क्रीन प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रा. गज के आपन क्रमांक 4185/खनिज/2018 बलरामपुर, दिनांक 23/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती शोभा जीवहा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अवधि दिनांक 31/01/2013 से 30/01/2018 तक का है। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अवधि दिनांक 31/01/2018 से 30/01/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला-बैकुण्ठपुर के आपन क्रमांक/तक.क./896 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 623 मीटर दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-डोभापानी 500 मीटर, स्कूल ग्राम-डोभापानी 960 मीटर एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.95 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। गेज नदी 600 मीटर, तालाब 980 मीटर, नहर 3.08 कि.मी. एवं गौरागी नाला 1.35 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 65,773.50 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 35,945.40 घनमीटर एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 34,690.83 घनमीटर था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 63,883.50 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 36,656.40 घनमीटर एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 32,989.83 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,203.75 वर्गमीटर है। औपम कास्ट रोमी मैकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 3,732.98 घनमीटर है। जिसमें से 1,474 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 2,259 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमती प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 433, रकबा 3,400 वर्गमीटर क्षेत्र) में संरक्षित किया जावेगा। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कक्षा स्थापित नहीं है, एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	3,469.05	छठम	3,469.23
द्वितीय	3,469.05	सप्तम	3,469.23
तृतीय	3,469.05	अष्टम	3,469.23
चतुर्थ	3,469.05	नवम	3,469.23
पंचम	3,469.01	दशम	3,468.57

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सू-जल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल गाउपण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 834 नग वृक्षारोपण किया जाना है। जिसमें से 650 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। अतः लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में शेष 184 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान राइको/पट्टय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (184 नग) वृक्षारोपण हेतु राशि	18,400	-	-	-	-
कोरिंग हेतु राशि	70,000	-	-	-	-
खाव हेतु राशि	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700

वृक्षारोपण हेतु	शिवाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 13,01,900		3,35,100	2,41,700	2,41,700	2,41,700	2,41,700

- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.12	2%	0.24	Following activities at Village- Dobhapani	
			Plantation around Pond	0.46
			Total	0.46

- सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 12 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रुपये, पौधों के लिए राशि 1,800 रुपये, खाद के लिए राशि 600 रुपये, शिवाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 15,600 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डोभापानी (खसरा क्रमांक 85) के सहमति उपरोक्त तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रमाणित कम्प्लायंस रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाजगत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी ज़ोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- ब्लॉस्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21/11/2024

20. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 23. उत्तरीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तरायन का प्रकरण लंबित नहीं है।
 25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जावेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न धरेतू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेप्टलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार घासीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
 - v. खदान की बाउण्ड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - vi. तथा रोमव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 990 मीटर तथा नहर 3.08 कि.मी. की दूरी पर है जो कि उत्तरीसगढ़ शीप खनिज अधिनियम, 2015 में बर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।
26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 250 मीटर, अस्पताल 10.75 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ नीम खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
- i. खदान की माईन बाउन्ड्री में घाटी ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) को निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. जलवायु क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING की परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का हाईड लेवल कन्सट्रेंशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
31. समिति का मत है कि सी.ई.ओ. एवं वृक्षारोपण कार्य के नॉटिफिकेशन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही

सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

32. गान्धीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 746/खनिज/उ.प./2023 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (घाम-झोभापानी) का क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का मालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
3. जनवरी 2023 से अब तक किये गये उत्खनन की वार्षिकि मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
4. सीमा क्षेत्र में अवस्थित कुओं (यदि हो लें) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कोरिया स्टोन क्वार (झोभापानी आर्बिन्गरी स्टोन माईन्, प्रो.- श्रीमती शोभा चौदह) को घाम-झोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 432 में निम्नत साधारण पाथर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर, क्षमता-9,385 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मैसर्स कोपी आर्किटेनरी स्टोन क्वारी (जो- श्री चंभल अदालत), ग्राम-कोपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2514)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432417/2023, दिनांक 11/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सखारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कोपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/38, कुल क्षेत्रफल-2.251 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 40,830 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंभल अदालत, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोपी का दिनांक 08/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-रायगढ़ को पृ. ज्ञापन क्रमांक 337-39/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 20/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 300/खनिज/ख.लि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.545 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 299/खनिज/ख.लि. 1/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, गौटन सप्लाय परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, पार्यायिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री चंभल अदालत के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), जिला-अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 955/खनिज/ख.लि.1/न.क्र.22/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 26/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 485/11/2 व 485/35 श्री चंद्रल अस्पताल (आवेदक) एवं खसरा क्रमांक 485/36 श्रीमती राजरानी अस्पताल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि/669 अम्बिकापुर, दिनांक 06/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-कैरी 400 मीटर, स्कूल ग्राम-कैरी 600 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-अम्बिकापुर 10.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.8 कि.मी. दूर है। गागर नदी 5.9 कि.मी., मोरनी नाला 2.1 कि.मी., तालाब 540 मीटर एवं नहर 3.35 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,29,491 टन, माईनेबल रिजर्व 4,81,909 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 4,33,718 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,610 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है, ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,850 घनमीटर है। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में झरर स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल फ्लॉयडिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,307.63
द्वितीय	40,605.30
तृतीय	40,515.39
चतुर्थ	40,678.20
पंचम	40,830.00

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. कुशारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.118 नग कुशारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु डल डिडकाव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
खदान के कारण्ड्री में (1.118 नग)	कुशारोपण हेतु राशि	1,11,800	-	-	-	-
	फेंसिंग हेतु राशि	93,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
कुशारोपण हेतु सिंचाई, रख-रखाव आदि हेतु राशि	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	
कुल राशि = 14,88,800	4,65,400	2,55,800	2,55,800	2,55,800	2,55,800	

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.67	2%	0.75	Following activities at Village- Kepi	
			Plantation around village pond	0.90
			Total	0.90

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) कुशारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 39 नग पौधों के लिए राशि 3,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,850 रुपये, खाद के लिए राशि 1,950 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 59,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम पंचायत कोषी (खसरा क्रमांक 84) के सहमति उपरोक्त तालाब के चारों तरफ कुशारोपण किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित किया जाएगा। शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का

दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभरण हेतु किये जाने, इस प्रकार बण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ धमन के दौरान निरीक्षण कराया जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं क्षेपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्युजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. उत्तीर्णवाद आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, ताला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-
 - i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में नहीं किया जाएगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. गलती जल के संरक्षण के लिए खदान के घाटों और गारलैंड ड्रेन एवं सेप्टिक टैंक को द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जाएगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार शानीयों को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - v. खदान की बाउंड्री के घाटों और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - vi. क्या संभव तालाब के घाटों और भी सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 540 मीटर तथा नहर 3.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 24 के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. आवेदक द्वारा भूमि स्वामिनी के निजी अधिकारी को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामिनी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 500 मीटर, अस्पताल 10.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 400 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे—
 - i. खदान के माईन वाउन्ड्री में घाटी और सधन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे सड़ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में बैम्ब लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELING के परिणामों के अनुसार सड़की क्षेत्र का वातुल लेवल कन्स्ट्रैशन CPCB के मानकों के भीतर पाये गये है, अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM-10 का प्रभाव नगण्य होगा।
 - vii. धूल एवं स्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड स्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर काम किया जाएगा। जिससे स्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनको विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिसा निर्देशों का भेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S)

Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए विज्ञापन निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

31. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षा रोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षा रोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

32. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्पिलेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के डायन क्रमांक 300/खनिज/ख.सि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2,546 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-केपी) का क्षेत्रफल 2,251 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-केपी) को मिलाकर क्षेत्रफल 4,796 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. एल.ओ.आई की कथित वृद्धि संकपी दस्तावेज/जानकारी को एल.ओ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति दी जाती है।

3. लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों (यदि हो लें) की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एल.ओ.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति दी जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स केपी आईडिबरी स्टोन क्वारी (प्रो- बी चंचल अग्रवाल) को ग्राम-केपी, तहसील-लुम्फा, जिला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/36 में स्थित सम्भारण पत्थर (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2,251 हेक्टेयर, लगभग-40,830 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मैसर्स बरबसापुर फर्नीचर प्रो. व्हायर क्वारी (प्री- श्री धीरेन्द्र कुमार लोनारे), ग्राम-बरबसापुर, तहसील व जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2515)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 433260/2023, दिनांक 13/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित फर्नीचर (पीएन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बरबसापुर तहसील व जिला-महासमुंद स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 186/1, कुल क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,523.75 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा-4 में निम्न प्रावधान है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A. 142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.08.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुसंधान (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरेन्द्र कुमार लोनारे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- i. पूर्व में फर्नीचर खदान खसरा क्रमांक 186/1, कुल क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर, क्षमता-2,523.75 टन (1,009.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा दिनांक 22/11/2016 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कयपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शस्त्र), जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक 580/क/खनि/न.क्र./2023 महासमुंद, दिनांक 28/05/2023 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	113
01/01/2018 से 30/06/2018	302
01/07/2018 से 31/12/2018	228
01/01/2019 से 30/06/2019	110
01/07/2019 से 31/12/2019	250
01/01/2020 से 30/06/2020	190
01/07/2020 से 31/12/2020	100
01/01/2021 से 30/06/2021	180
01/07/2021 से 30/09/2021	160
01/10/2021 से 31/03/2022	200
01/04/2022 से 30/09/2022	270
01/10/2022 से 31/03/2023	230

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरथसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - कवारी प्लान एलीग विथ कवारी क्लोजर प्लान विथ इनहायरोगेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-महासमुंद के ड्रापन क्रमांक 1429/क/खलि/न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 22/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ड्रापन क्रमांक 580/क/खलि/न.क्र./2023 महासमुंद, दिनांक 26/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ड्रापन क्रमांक 580/क/खलि/न.क्र./2023 महासमुंद, दिनांक 26/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एंटीकॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज श्री धीरेन्द्र कुमार लोनारे के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/01/2014 से 20/01/2024 तक वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/01/2024 से 20/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
- डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महासमुन्द के द्वारा क्रमांक/मा.वि./खनिज/1261 महासमुन्द, दिनांक 08/04/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 13 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसापुर 1.15 कि.मी., स्कूल ग्राम-बरबसापुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुन्द 8.45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.8 कि.मी. दूर है। महानदी 500 मीटर, खैरसी नाला 920 मीटर, ताताब 1.32 कि.मी. एवं नहर 590 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 95,965 टन, माईनेबल रिजर्व 28,040 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 21,030 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 38,513 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 8,943 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,678 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर तथा कुल मात्रा 2,465 घनमीटर है। जिसमें से 765 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन वाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संरक्षित किया जायेगा। बीच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। जैक टैम्पर से ट्रिलिय एव कंट्रोल ऑपरिशन किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1 st to 2 nd year of five year plan period is already over before the induction of the provision of quarry plan as per Chhattisgarh minor mineral rules, 2015	सष्ठम	2,426.25
द्वितीय		सप्तम	2,433.75
तृतीय	2,032.50	अष्टम	2,475.00
चतुर्थ	2,175.00	नवम	2,512.50
पंचम	2,416.75	दशम	2,523.75

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 238 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय

स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जीव उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। उक्त क्रमांक ५३३७ के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेंसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना दी गई थी।
17. गानधी एन.जी.टी., प्रिंसिपल वेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 जीफ 2018 एन अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को फास्ट आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 880/क/खनिज/म.स./2023 महासमुद्र, दिनांक 26/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 89 खदानें, क्षेत्रफल 39.22 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 39.64 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान भी श्रेणी की मानी गयी।
2. माइनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में लिये गये उल्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचार उपचारों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इंडास्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी में अतिक्रम उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जीस उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संवालयक, संवालयनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी-1' कोटेगरी का होने को कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टेम्पे ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट फ्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर को साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur
 - ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from 01/04/2023 to till date from the mining department.
 - iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - x. Project proponent shall submit the copy of panchnama, photographs and videography of every monitoring station.
 - xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by

- xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स दिलीप बिल्डकों लिमिटेड (सेमीपाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-सेमीपाली, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2391)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428822/ 2023 दिनांक 21/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सेमीपाली, तहसील-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पाटी), कुल क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,50,036 टन (92,805.93 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सायेन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन को संकेत में ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर का दिनांक 08/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी कंसेजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के

ज्ञापन क्रमांक 963/ख.लि.2/स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 965/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 965/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. - एल.ओ.आई. मेसर्स दिलीप विल्डकीन लिमिटेड के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 800/ख.लि.-03/2023 रायगढ़, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 88 श्री वीतराम व श्रीमती आशाभोली एवं खसरा क्रमांक 115 श्रीमती भु. सिधारी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./6790 धरमजयगढ़, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 350 मीटर, वन्यजीव अभ्यारण्य से 160 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 200 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-संगीपाली 700 मीटर, स्कूल घाट-झुलनवर 1 कि.मी. एवं अस्पताल धरमजयगढ़ 4.2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 330 मीटर, माण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 2.4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 10,97,820 टन, माइनेबल रिजर्व 4,43,542 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,21,365 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,900 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,826 घनमीटर है, जिसमें से 1,367.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माइन बाउण्ड्री) क्षेत्र में

पीलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं क्षेत्र 1,457.40 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सड़भति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 92, रकबा 0.98 हेक्टेयर में से 0.15 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में जल स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,50,036
द्वितीय	1,50,052
तृतीय	2,077
चतुर्थ	2,000
पंचम	2,039

- जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
- वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 771 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 77,100 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,000 रुपये, खाद के लिए राशि 38,550 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,20,850 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,14,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Sempali Khurd	
			Donation of books related to Environment Conservation & Amlira	0.10
			Plantation	0.41
			Total	0.51

17. सी.ई.ओ. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग फीचों के लिए राशि 1,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रुपये हेतु धटककार न्याय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
18. सी.ई.ओ. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान को 7.5 मीटर की हरित घट्टी में जो वृक्ष विद्यमान है उन्हें सुरक्षित रखने एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर एक वृक्ष महुआ, दो वृक्ष बबूल एवं काटेदार झाड़ियां स्थित हैं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हुआ तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. सी.ई.ओ. कार्य के लिए प्रस्तावित स्कूल में वृक्षारोपण की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने एवं सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान को 7.5 मीटर की हरित घट्टी में प्रयोजन अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किये जाने तथा उन रोपित फीचों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.ओ. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के तहत खर्च किये गए राशि की, क्षेत्र की जानकारी, कार्य की जानकारी Latitude-Longitude कोऑरिनेट एवं KML फाईल सहित पर्यावरण स्वीकृति के फालन प्रतिवेदन में प्रस्तुत करेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए परियोजना प्रस्तावक बध्य रहेगा।
25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर रोपटी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित किये जाने, जब ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भण्डारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनको निरीक्षण/घनन के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. स्वारिंटन का कार्य डी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. पर्यावरणिक इस्ट इम्प्रूवमेंट के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. मरुईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेमित पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं उक्त प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला इत्यादि का संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
37. माननीय एन.जी.टी. ट्रिबिनाल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(प्रोविजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के आपन क्रमांक 955/ख. लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 17/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सेमीपाली) का क्षेत्रफल 1.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सेमीपाली) को मिलाकर कुल रकबा 3.543 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. लीज क्षेत्र में वृक्ष अधिक हैं। वृक्षों की प्रजाति का संरक्षण कर सूची फोटोग्राफस सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स दिलीप बिल्डिंग्स लिमिटेड (सेमीपाली आर्टिजनी स्टोन काररी) को ग्राम-सेमीपाली, तहसील-घरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक 88 एवं 115(पार्ट) में स्थित साधारण पत्थर (गीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.52 हेक्टेयर, वार्षिक उत्पादन क्षमता-2,50,038 टन (92,805 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/07/2023 को संपन्न 15वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

1. As per proposal, project land belongs to Shri Chaitram, Smt Ashamoti and Smt Sighan Bai and copy of an agreement with respective land holders has been submitted. We are of the view that whether the subject land belongs to General Category or SC/ST Category, which is required to be verified before considering the proposal. If subject land/project land belongs to Tribal Communities in that case we need to see whether a settled procedure has been adopted for obtaining consent of the land owners or not. Therefore, proposal is returned in the present form to Project Proponent and asked to submit fresh proposal for obtaining Environmental Clearance.
2. Project proponent has submitted that Forest Land is located at a distance of 350 meters as per N.O.C. obtained from D.F.O., Dhamtari. Therefore it is viewed that distance from project land should/must be in accordance with the guidelines and rules made under F.C.A., 1980. To comply with guidelines, Project Proponent is directed to submit the proposal keeping requisite distance from the Forest Land to avoid any disturbance to flora

and fauna and for Wildlife protection, along with action plan for conservation of flora and fauna.

3. Project proponent shall ensure mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc.
4. It has been submitted that 07 cubic meter water per day shall be required for the instant project and water shall be made available through borewell and N.O.C. of C.G.W.A. has been submitted by Project Proponent. As per National Water Policy only surface water can be utilized for industrial purposes. Therefore Project Proponent is directed to clarify the source of water for the mining (industrial) project.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. गृहों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक-पृथक रनिंग वाटर फेरीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त स्थलों के पर्यवेक्षण में परीक्षण उपरान्त उपयुक्त अनुमंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 11/08/2023

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज को परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/08/2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

1. गृहों की प्रजातिवार संख्यांकन कर सूची फोटोग्राफस सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, धरमजयगढ़ परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जारी पत्र अनुसार "स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें घोंस, सैन्हा एवं अन्य छोटी झाड़ियाँ मौकें पर पाया गया। चूंकि वर्तमान में बरसात सीजन होने के कारण उक्त क्षेत्र KML गूगल अर्थ में घना प्रतीत हो रहा है।" होना बताया गया है।
2. प्रस्तुत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव के तहत Donation of books related to Environment Conservation & Almira के स्थान पर शौचालय में छात्र / छात्राओं के लिए पृथक-पृथक रनिंग वाटर फेरीलिटी की सुविधा (यदि सुविधा न हो तो) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.09	2%	0.3618	Following activities at Near by Govt. Primary School, Village-Sempali Khurd	

			Runing Facility for Toilets	Water for Boys	0.15
			Runing Facility for Toilets	Water for Girls	0.20
			Plantation		0.41
			Total		0.76

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नए पेड़ों के लिए राशि 1,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 8,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्रधान अध्यापक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. प्राधिकरण द्वारा नोट किये गये तथ्यों के परिपेक्ष्य में सभिति का निम्न मत है:-

- विचाररथीन प्रकरण में तत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के अनुबंध पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है तथा संबंधित कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है।
- विचाररथीन प्रकरण में आवश्यकतानुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, से जारी अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही संबंधित खदान की दूरी वन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक है। अतः प्रस्तावित लीज क्षेत्र पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता है।
- विभिन्न संस्थानों से न्यूनतम दूरी बाबत - छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सार्वजनिक विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अन्वय-यों के विन्दु क्रमांक 5(ग) में निम्न प्रावधान है:-

"जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर, प्रधानमंत्री वान सड़क योजना, मुख्यमंत्री वान सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिले के सड़कों से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से, सभी दिशाओं में, 10 मीटर के भीतर का ग्रामीण मार्ग को छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान से, सभी दिशाओं में, 50 मीटर के भीतर" का सतलेख है।

विचाररथीन प्रकरण में सार्वजनिक क्षेत्र यथा स्कूल, हेल्थ सेंटर आदि की दूरी उपरोक्त अधिसूचना अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक होने, प्रस्तावित खदान अपेक्षाकृत छोटे लीज क्षेत्र या होने तथा खदान प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण की सहाय व्यवस्था करने के कारण Mitigation measures to minimize the impact of mining on Public Service Centers such as schools, health centers etc. की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

- जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किये जाने बाबत सेंट्रल गंगण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्ता कर प्रस्तुत किया गया है। चूंकि MINISTRY OF JAL SHAKTI (Department Of Water Resources, River Development And Ganga

Handwritten signature

Rejuvenation) (CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY), New Delhi द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 में निम्न प्रावधान है:-

"Exemptions from seeking No Objection Certificate: (v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day."

विद्यमान प्रकरण में जल खपत की मात्रा 10 घनमीटर/दिन से कम है। अतः औद्योगिक क्रियाकलापों (जल छिड़काव) में पृथक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में की गई अनुमति के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्त क्रमांक 18 के तहत सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित स्कूल में सैनिक वाटर एवं वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाएगा। सदाशय के अनुसार पूर्व में अनुमति पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त को संशोधित किया जाए तथा समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 में निहित की गई शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 471वीं, 472वीं एवं 473वीं बैठक क्रमशः दिनांक 26/06/2023, 27/06/2023 एवं 28/06/2023 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 11/06/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।


(कलदिपुस ठिकी)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़


(बी. पी. नोन्डारे)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

वेसर्स नर्मदा गिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन्, पार्टनर- श्री मोहन लाल अग्रवाल)
 को खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4,
 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1,
 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल लीज क्षेत्र 4.63 हेक्टेयर, ग्राम-किरना,
 तहसील-पधरिया, जिला-बुधेली में डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 2,00,212 टन
 प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.63 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 2,00,212 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आर्द्रता एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संभरण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु टीजर ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एवं ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित



नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह सात, जनस्थितियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा स्थान प्राधिकारी से अनुमोदित माईन ग्लोबल प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। ऊशन, स्कीन, हासफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेच नार्थ, सैम्प संग्रहण क्षेत्र, नराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विप्लव ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाढ़नी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरस्प्रेडिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विप्लव एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभरण के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्वर्ट वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
174.15	2%	3.48	Following activities at Village- Kirna	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.79
			Total	3.79

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताजाब की घाटी और (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 93 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 13 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 80 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 12,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,03,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम

पंचायत किरना के सहमति उपरांत पंचायीय स्थान (खसरा क्रमांक 608) के संकथ में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।

24. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से वसूलीपत्र कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपकी द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (घातें तथा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इतल पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 900 पीछे का रोपण (कुल 2,500 पीछे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (पेथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का चर्चलेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी फाइल प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करे।
29. गाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये नृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पीछों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

111

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अन्तर्गत ड्रिलिंग किया जाए जिससे ब्रस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसभ्यतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनसभ्यतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आमका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज विधम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कंमिग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आकस्मिकतात्मक हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सभ्यता पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सभ्यता को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्सर्जन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय को मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आह्वय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका

अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपेक्षित (प्रबंध एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मति, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स विनाला मिनरल्स

(लमती डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर- श्री मनीष कुमार अग्रवाल)

की खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल लीज क्षेत्र 4.819 हेक्टेयर, ग्राम-लमती, तहसील-पधरिया, जिला-मुंगेली में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन - 2,01,318 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.819 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 2,01,318 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति (अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार पुष्कारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पट्टीय मार्गों के संचालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में गिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर को अर्धवर्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुष्कारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं

जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरस्रारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपधारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा धारा 130 के पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी घिननी / वेद / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्लार, रजिन, ट्रासफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पड़ोस मार्ग, रैम, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनेन्ट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विपद ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाइनी, खान एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबैंड को रिचर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।



17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक् से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा रसाय 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का इतरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा यचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीड क्षेत्र के आस-पास के सहाई जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेयब ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
102.6	2%	2.052	Following activities at Village- Lamti	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	2.28
			Total	2.28

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. को उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत सालाब के बासी और (जामुन एवं आम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नम वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 10 नम वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 60 नम पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, फोसिंग के लिए राशि 9,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 39,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 60,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,68,000 रुपये हेतु वार्षिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत



दस्तावेजों का केंद्रस्थिति उपरोक्त स्थायीय स्थान (खसरा क्रमांक 237) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,045 नम वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इस्ति पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, रीसू, आम, इमली, अर्जुन, खैरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 960 पौधों का रोपण (कुल 2,995 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी वालन प्रतिवेदन की साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. कंट्रोल प्रोविडिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पत्थर टैक्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होना।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्साकीय सुविधा मोबाइल टायलेट अदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका

अपलोड कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की उच्च वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए परस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधियों, परिसंकाटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संघलन) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दृष्टा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की संपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनको क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स कान्हा मिनरल्स (प्रौ- श्री मुकेश कुमार विधानी)

को खसरा क्रमांक 720, 721, 722/8, 733, 734/1, 734/2, 734/5 एवं 734/6, कुल लीज क्षेत्र 2.995 हेक्टेयर, ग्राम-जयरामनगर, तहसील-मन्सुरी, जिला-बिलासपुर में घुना फथर (मौज खनिज) उत्खनन - 49.999 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.995 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घुना फथर का अधिकतम उत्खनन 49.999 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर फर्कें नुसार लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आशंक एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. बलस्टर हेतु प्रस्तुत वागिन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. बलस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार बटटेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतिसु इस प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं शौकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी



व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा प्रतीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा चारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पादन हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन बलोअर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. मू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विन्ही / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कठार, स्कीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषित डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम एग्जेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए। विपद ड्रेफ्टिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ जैसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःआरंभ के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिछी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भयंकरित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (पेस्ट रॉक) को खनन के पर्याप्त बने गड़कों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गार्लेन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कच्ची वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं मरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75.37	2%	1.51	Following activities at, Village- Jairamnagar	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	1.53
			Total	1.53

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपेक्षा उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत तात्काल के खरी और (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों के) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नव पौधों के लिए राशि 9,000 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 9,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 28,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 49,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,53,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जयवहमनगर के सहमति उपरांत तात्काल (खसरा क्रमांक 245) के खरी और वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।



24. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (छारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हाई रोड, ओवरबर्डिन जम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,630 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, रीसू, आम, इगली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 800 पीधों का रोपण (कुल 2,230 पीधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिह्नित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधे के नाम का चस्केच करते हुये टैगिंग (Tagging) फोटोग्राफस सहित जानकारी फालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव अगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पीधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लौह ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हुबरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एस.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार चुनिचिल की जाए कि जनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आधका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्राधान्यों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राधान्यों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकज्ञान हेतु सर्चिलेस कंसन्स आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, क्ल और जलवायु परिवर्तन संज्ञालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार इशाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की स्मरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्यद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काश के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अब वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वरसावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपरिष्कृत (प्रबंध एवं सीमापार संवर्तन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (पश्चा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में, की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईनिंग)

को खसरा क्रमांक 1263/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर, ग्राम-अकलसरा, तहसील-जौजीपुर, जिला-जांजगीर-बाघा (वर्तमान में जिला-राजकी) में डोलोमाईट (शीण खनिज) उत्खनन - 17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.047 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 17,500 टन प्रतिवर्ष से 2,49,020 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुन्डरे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) की प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकाश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के सधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पर्यटकों द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रक्षक प्राधिकारी से अनुमोदित माईन वलोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी विमनी / वेंट / धाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। ऊपर, स्क्रीन, ट्रांसफर धाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनेन्ट कम सर्वेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग कायम हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभरण के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भूमिगत पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन की परतों से दूर रखी में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंशन बॉल / बारलेफ्ट ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
118.72	2%	2.40	Following activities at Village- Akalsara	
			Plantation around village Pond & maintenance for 5 Year	3.27
			Total	3.27

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. को उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित धान पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण अस्फल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब की चारों ओर (जामुन एवं आम की विभिन्न प्रजातियों को) वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार 85 नग पौधों के लिए राशि 12,750 रुपये, कीसिंग के लिए राशि 12,750 रुपये, खाद के लिए राशि 4,250 रुपये एवं सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 80,600 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 80,250 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,37,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा धान पंचायत अकलसरा के सहमति उपरांत तालाब (खसरा क्रमांक 582) के चारों ओर वृक्षारोपण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के सड़क आपकी द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हाईल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाती के 1.167 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, सीसू, आम, इनली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 800 पीधों का रोपण (कुल 1.967 पीधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किन्हीं क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधे के नाम का उल्लेख करते हुये जिक्टैग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. गार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीधों का सहाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पीधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिक्षेपित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

Handwritten signature

70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हयारप्लग/नफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल एक्सप्लोडिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए फलर को छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई शीट्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गैट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्राधान्यों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राधान्यों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कोयला श्रमिकों कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, नौबंदल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकपेक्षणन हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, ने किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्भलित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्भलित को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरन्धव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट panvesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृत और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वृत्ति में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने काका निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव/एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स कोरिया स्टोन क्वार (डोभापानी अर्बिनेरी स्टोन माईनिंग प्रो- श्रीमती सोमा चौदहरी)
की खसरा क्रमांक 432, कुल लीज क्षेत्र 1.22 हेक्टेयर, ग्राम-डोभापानी, तहसील-बैकुण्ठपुर,
जिला-कोरिया में साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 9,366 टन प्रतिवर्ष हेतु
पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.22 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 9,366 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. जैवोत्प्रेषण प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षरोपण हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण शासन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि को उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईनिंग क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. मू-जल का उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमनी / वेंट / फ्लाइट शॉट से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। ब्रशर, खनिज, ट्रांसफर फ्लाइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पर्यावरण डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टेय मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सॉल्यूशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। किण्व ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के घातों तक छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (ल्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर फुथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिछी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को फुथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विधरित प्रभाव न डाल सकें। ढम्य की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढम्य का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिछी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परिचालना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा ढम्य क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली क्लेड्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को झरना से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.12	2%	0.24	Following activities at, Village- Dobhapani	
			Plantation around Pond	0.46
			Total	0.46

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 12 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,800 रुपये, खाद के लिए राशि 800 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 15,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 30,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डोभापानी (खसारा क्रमांक 88) के सहमति उपरान्त तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपराइंडर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अल्पके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, जीवरवर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 834 पौधों का राघव वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में सीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 नग पौधों का रोपण (कुल 1,084 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी फालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. नाईनिंग लीज क्षेत्र में अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कंसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री विटलर्स द्वारा शीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हयस्कन/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अथारिस्ट ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्थलियाँ एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्थलियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होना।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौण्ड खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को अनुसार किया जाए। नाईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का फालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कंभिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. भूमिगतों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिसंरक्षणीय सुविधा, ग्रीनहाउस गैसों के अभाव की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. भूमिगतों का समय-समय पर जायसूचकाल हेतु सर्विलेंस करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अधिकार किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निरन्तरण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ पर्यावरण, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parvesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन को संभल में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतनय

और अन्य अपशिष्ट (प्रकाश एवं सीमापार संकलन) नियम, 2018 तथा लोक वायुमय बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परिष्कार के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा तन्मयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मति, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


-अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स केपी आर्जिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री चंचल अग्रवाल)

को खनन क्रमांक 485/11/2, 485/35 एवं 485/36, कुल लीज क्षेत्र 2.251 हेक्टेयर, ग्राम-केपी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा में साधारण पत्थर (गीण खनिज) उत्खनन - 40,830 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.251 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 40,830 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन तथाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. जैविक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कुआरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा तत्सम प्राधिकारी से अनुमोदित माईनिंग क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरम्भ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, स्मीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पथुजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रेम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सॉल्यूशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचरण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई डेस्ट वा डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कस्टर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.87	2%	0.75	Following activities at, Village- Kepi	
			Plantation around village pond	0.90
			Total	0.90

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जाएगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ (आम, जामुन एवं कटहल) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 39 नग पौधों के लिए राशि 3,900 रुपये, कोसिंग के लिए राशि 5,850 रुपये, खाद के लिए राशि 1,950 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 29,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,800 रुपये हेतु षट्कवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कैंपी (खसरा क्रमांक 84) के सहमति उपरांत तालाब के चारों तरफ वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षीय समिति (प्रैपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसंगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-क्षीय समिति से सन्तुष्टि कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घाटों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,116 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इनली, अर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 450 नग पौधों का रोपण (कुल 1,568 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिवर्षित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाजपट्टी विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। रात्रि ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयल्डन/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विविधराष्ट्रीय जीव एवं आवरणकला अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रोक्स) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अभावित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नाईन एक्ट 1962 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग भविक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकितसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, श्रमिकों की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की वजा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव की मात्रकों को और संशुद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के उत्तर-पूरब व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parbesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संकक्ष में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वानु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय

11

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संकलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (पश्चात संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का बत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्क्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अधिका, एस.ई.ए.सी.